न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं0 05/2023

1. बाबूलाल पुत्र कन्हैया
2. रामचन्द्र पुत्र कन्हैया
3. कैलाश पुत्र कन्हैया (फोत)
   - 3/1 शान्ति पत्नि स्व0 कैलाश
   - 3/2 रामखिलाडी पुत्र स्व0 कैलाश
   - 3/3 मन्नु पुत्र स्व0 कैलाश
   - 3/4 निरमा पुत्री स्व0 कैलाश
4. हरिमोहन पुत्र लल्लू
5. राकेश पुत्र लल्लू
6. लाडा पत्नि लल्लू

   समस्त जाति माली निवासी अटटा बिजौरी तहसील दौसा
7. प्रेम पुत्री कन्हैया पनि प्रभू जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा
8. शांति पुत्री कन्हैया पत्नि रामफूल जाति माली निवासी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा
9. कौशल्या पुत्री कन्हैया पत्नि पप्पू जाति नाली निवासी मोंरोली तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
10. उर्मिला पुत्री लल्लू पत्नि महेन्द्र जाति माली निवासी ब्राहम्ण बैराडा तहसील सिकराय जिला दौसा

......अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजी पुत्र रामदेवा
2. कालू पुत्र घासी
3. रामोतार पुत्र वासी
4. सुरेश पुत्र घासी
5. दिनेश पुत्र घासी
6. गणपत पुत्र लक्ष्मण
7. रामजीलाल पुत्र लक्ष्मण
8. छाजूराम पुत्र हजारी
9. प्रभात्या पुत्र हजारी
10. सुदामा पुत्र हजारी
11. बनवारी पुत्र हजारी
12. नीरज पुत्र लोहडीराम
13. कविता पुत्री लोहडीराम
14. अंगूरी पत्नि लोहडीराम
15. जगदीश पुत्र नहन्या
16. जौहरीलाल पुत्र नहन्या
17. रामस्वरूप पुत्र नहन्या
18. मुरारी पुत्र नहन्या
19. राजकुमार पुत्र सुरजन
20. छुटटन पुत्र सुरजन
21. मलखान पुत्र सुरजन

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

22. किशना पुत्र गंगल्या
23. हरगोविन्द पुत्र गंगल्या
24. ईशरा पुत्र गंगल्या
25. कैलाशी पत्नि सीताराम
26. सावल्या पुत्र सीताराम
27. पूरण पुत्र सीताराम
28. महेन्द्र पुत्र सीताराम
29. महावीर पुत्र सीताराम
30. भागोती पत्नि सुरजन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समस्त जाति माली निवासी अट्टा बिजौरी तहसील दौसा

31. जमना पुत्री रामदेवा पत्नि परत्यारान जाति माली निवासी अरनिया तहसील बांदीकुई
32. नानगी पुत्री रामदेवा पत्नि हरजी जाति माली निवासी गोला का बास तहसील टहला
33 तीजा पुत्री हजारी पत्नि रामनिवास जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
34. ममता पुत्री सुरजन पनि रिंकू जाति माली निवासी बडागॉव तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
35. रेवडी पुत्री सीताराम पत्नि रामखिलाड़ी जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा
36. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

......रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर निर्णय दिनांक दर्ज नही है जो खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबधित संख्या 95 पर ग्राम भाण्डारेज में स्थित खाता संख्या 507 की भूमि बाबत पारित किया गया है।

उपस्थित : 1 श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री मलखान गुर्जर, श्री उम्मेद सिंह गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पों. 1 से 14
3. श्री रामावतार बैरवा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 15 से 30 व 34, 35,
4. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

<u>निर्णय</u> दिनांक 03.9.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि आदेश सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर निर्णय दिनांक ज्ञात नहीं जो खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबंधित संख्या 95 पर ग्राम भांडारेज में स्थित भूमि खाता सं0 507 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवथ्ता अपीलांट ने दफा 5 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी दिनांक अंकित नही है जो खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबधित पर पारित किया गया [illegible] निर्णय की अपीलान्ट या अपीलान्ट के बुर्जुग कन्हैया को कतई जानकारी नही थी [illegible] निर्णय अपीलान्ट के बुजुर्ग कन्हैया व अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे [illegible] कन्हैया का फर्जी अंगूठा निशानी करके किसी ने पारित करवाया है जिसकी अपीलान्ट के बुर्जुग कन्हैया को कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा के मुकदमा अनुवानी चिरंजी बनाम किशना मुकदमे मे दिनांक 23. 02.2023 को हाजिर आने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

लिये नोटिस प्राप्त हुए तो प्रार्थीगण दिनाक 24.01.2023 को दौसा आकर वकील नियुक्त करने के लिये बातचीत की तो अधिवक्ता ने बताया कि नोटिसो के साथ केस की नकल नही आयी पहले कोर्ट से क्या केस किया है उसकी नकल लेनी पडेगी तो वकील जी ने दिनांक 24.01.2023 को ही नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनाक 25.01.2023 को मिली तो वकील जी ने बताया कि उक्त केस तो पत्थरगढी करवाने के लिये किया है तो प्रार्थीगण ने बताया कि उसने जिस भूमि की पत्थरगढी का केस किया है उक्त भूमि पर तो हमारा कब्जा है यह भूमि उसके नाम कैसे लग गयी तो वकील जी ने बताया कि यह तो रिकार्ड देखने से पता चलेगा आप 5–7 दिन मे आओ मै रिकार्ड के लिये आवेदन करता हूँ तथा नकल लेता हूँ तो प्रार्थीगण दिनांक 08.02.2023 को वकील जी से आकर मिले तब वकील जी ने तलाश करके बताया कि उक्त भूमि का तकास्मा खसरा परिशोधन के जरिये अलग अलग खाते हो रहे है तब सर्वप्रथम उक्त तकास्मे के खसरा परिशोधन पर पारित आदेश की जानकारी हुई तक दिनांक 8.02.2023 को ही नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल दिनांक 13.02.2023 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त सहायक भू प्रबंध अधिकारी के आदेश की जानकारी हुई है इससे पूर्व अपीलान्ट को व अपीलान्ट के बुजुर्ग को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की भी कोई मियाद नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. सं0 1 से 15 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट्स को उक्त आदेश की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पों. सं0 01 से 15 पर उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सेंटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 1101 रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम भाण्डारेज के 3/4 हिस्से के खातेदार व काबिज काश्तकार मांग्या सोन्या पुत्र पॉच्या व 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार रामदेव पुत्र पॉच्या जाति माली थे। उक्त भूमि के सेटलमेन्ट के दौरान नंबर बदलकर नये खसरा नंबर 3798, 3822, 3826, 3835, 3797, 3821, 3827, 3834, 3836, 3799, 3823 3824, 3825, 3832, 3833, 3795, 3796, 301, 3802, 3803, 3828, 3830, 3831 बन गये है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी को तकास्मा करने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी तथा बिना लैण्ड होल्डर तहसीलदार की सहमति बिना तकास्मा नही हो सकने के बावजूद भी बिना पक्षकारान को सुनवायी का अवसर दिये बिना व बिना पक्षकारान की सहमति बिना तकास्मा नही होने के बावजूद भी कानून के विपरीत तरीके से सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने बिना कोई तारीख अंकित किये बिना उक्त भूमि का विधि विरुद्ध तरीके से फर्जी अंगूठा निशानीया कराकर के और उक्त भूमि का तकास्मा कर दिया और तकास्मा करके अपीलान्ट के बुजुर्ग [illegible] के कब्जे की भूमि को दीगर लोगो के नाम लगा दिया व दीगर [illegible] अपीलान्ट के पिता कन्हैया के नाम लगा दिया इसी प्रकार कब्जे के विपरीत [illegible] से सभी पक्षकारान का तकास्मा कर दिया जिसकी अपीलान्ट को या अपीलान्ट के बुजुर्ग कन्हैया को कतई जानकारी नही थी अतः सहायक भू प्रबंध अधिकारी के खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबंधित पर पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकिया नियमो के विपपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त निर्णय मौका स्थिति के बिल्कुल विपरीत पारित किया गया है जहाँ पर अपीलान्ट व अपीलान्ट के बजुर्ग का कब्जा था वहाँ भूमि अपीलान्ट के नाम नहीं लगायी उस भूमि को रेस्पोडेन्ट के नाम लगा दिया एवं रेस्पो के कब्जे की भूमि को अपीलान्ट के नाम लगा दिया जो कतई गलत है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट के पिता व अन्य व्यक्ति किशना, हरगोविन्द, ईशरा, सीताराम व सोन्या आदि ने कोई तकास्मा नही किया है ना ही कोई अंगूठा निशानी की है ना ही उक्त फैसला उनकी उपस्थिति मे किया गया है बल्कि खसरा परिशोधन पत्र के पीछे 8 फर्जी निशानीया खाली पर करवाकर और उक्त सभी निशानीया किसी एक ही व्यक्ति ने करके और उक्त निर्णय पारित करवाया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी को उक्त निर्णय पारित करने का कोई अधिकार नहीं था और ना ही सहायक भू प्रबंध अधिकारी को बंटवारा करने का अधिकार था ना ही बिना लैण्ड होल्डर की सहमति बिना तकास्मा करने का अधिकार था ना ही खातेदारो ने कोई तकास्मा किया है ना ही उकत निर्णय किस दिनांक को किया गया है यह निर्णय मे अंकित है ना ही निर्णय में यह लिखा हुआ है कि उक्त निर्णय किसको सुनाया कब सुनाया अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन सहायक भू प्रबंध अधिकारी को यदि खातेदार सहमत हो तब भी तकास्मा करने का अधिकार नही है ऐसा माननीय राजस्व मंडल ने अनेको कानूनी नजीरों में तय किया है और ना ही खातेदारान ने कोई तकारमा किया है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पद का दुरूपयोग करके उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। कानूनन निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया जाता है उक्त निर्णय में ना तो खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ना ही कही यह लिखा हुआ है कि उक्त निर्णय किसकी उपस्थिति मे पारित किया गया है कानूनन उक्त निर्णय अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी दिनांक अंकित नही है जो खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबधित पर पारित किया गया है उक्त निर्णय की अपीलान्ट या अपीलान्ट के बुर्जुग कन्हैया को कतई जानकारी नही थी, क्योकि उक्त निर्णय अपीलान्ट के बुजुर्ग कन्हैया व अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पीछे से अपीलान्ट के पिता कन्हैया का फर्जी अंगूठा निशानी करके किसी ने पारित करवाया है जिसकी अपीलान्ट के बुर्जुग कन्हैया को कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 23.01.2023 को न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय दौसा के मुकदमा अनुवानी चिरंजी बनाम किशना मुकदमे मे दिनांक 23. 02.2023 को हाजिर आने के लिये नोटिस प्राप्त हुए तो प्रार्थीगण दिनाक 24.01.2023 को दौसा आकर वकील नियुक्त करने के लिये बातचीत की तो अधिवक्ता ने बताया कि नोटिसो के साथ केस की नकल नही आयी पहले कोर्ट से क्या केस किया है उसकी नकल लेनी पडेगी तो वकील जी ने दिनांक 24.01.2023 को ही नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनाक 25.01.2023 को मिली तो वकील जी ने बताया कि उक्त केस तो पत्थरगढी करवाने के लिये किया है तो प्रार्थीगण ने बताया कि उसने [illegible] केस किया है उक्त भूमि पर तो हमारा कब्जा है यह भूमि उसके नाम कैसे [illegible] वकील जी ने बताया कि यह तो रिकार्ड देखने से पता चलेगा [illegible] के लिये आवेदन करता हूँ तथा नकल लेता हूँ तो प्रार्थीगण [illegible] को वकील जी से आकर मिले तब वकील जी ने तलाश करके बताया कि उक्त भूमि [illegible] तकास्मा खसरा परिशोधन के जरिये अलग अलग खाते हो रहे है तब सर्वप्रथम उक्त तकास्मे के खसरा परिशोधन पर पारित आदेश की जानकारी हुई तक दिनांक 8.02.2023 को ही नकल हेतु आवेदन पेश करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

जिस पर नकल दिनांक 13.02.2023 को मिली तब सर्वप्रथम उक्त सहायक भू प्रबंध अधिकारी के आदेश की जानकारी हुई है इससे पूर्व अपीलान्ट को व अपीलान्ट के बुजुर्ग को उक्त आदेश की कतई जानकारी नही थी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की भी कोई मियाद नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर आदेश सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर निर्णय दिनांक दर्ज नही है जो खसरा परिशोधन पत्र विभाजन से संबंधित संख्या 95 पर ग्राम भाण्डारेज में स्थित खाता संख्या 507 की भूमि बाबत पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1998 पेज 319, आरबीजे (28)2021, आरबीजे (17)2010, आरआरडी 1992 पेज 117, आरआरटी 2020(1) पेज 37, 2020(1)आरआरटी 24, 2022(1)आरआरटी 184, 2022(1)आरआरटी 467, आरआरटी 2022(1)पेज 494, 2022 (1)आरआरटी 503, आरआरटी 2024(1)पेज 376, आरआरटी 2024(1)पेज 386, आरआरटी 2023(1) पेज 1, 2023(2)आरआरटी 1241, 2023(1)आरआरटी 14 की प्रतियां पेश की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अधिवक्ता रेस्पों० सं० 15 से 30 व 34 से 35 ने बहस में कथन किया कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर के खसरा परिशोधन पत्र पर पारित आदेश के खिलाफ की गई है। उक्त आदेश में कोई तारीख अंकित नहीं है और उक्त खसरा परिशोधन पत्र में किया गया तकास्मा फर्जी है किसी भी खातेदार ने हस्ताक्षर नहीं किये है बल्कि एक ही व्यक्ति ने अंगूठा निशानी लगाकर के मिलीभगत से उक्त निर्णय पारित करवाया है। कोई भी खातेदार तकास्मा करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। कानूनन सैटलमेंट विभाग को तकास्मा करने का अधिकार भी नहीं था, सैटलमेंट विभाग ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त कार्य किया है जिसमें पक्षकारों के कब्जे की भूमि व बने हुए मकानों को एक दूसरे पक्षकारों के नाम लगा दिया है जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए उक्त अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय ए०एस०ओ० के निर्णय को निरस्त किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारान को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके तथा विवाद की स्थिति समाप्त हो सके।

7. अधिवक्ता रेस्पों. 1 से 15 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मु. जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन पर पारित आदेश दिनांक 25.8.1981 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। उक्त अपील 40 वर्ष से भी अधिक के असाधारण विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त आदेश की प्रारंभ से ही जानकारी रही है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष कन्हैयालाल स्वयं उपस्थित रहा है एवं सहमति पर अपनी अंगूठा निशानी अंकित की है। सभी पक्षकार सहायक भू प्रबंध अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए है एवं अपनी अंगूठा निशानी अंकित की है। अपीलांट का पिता कन्हैया लाल की दिनांक 22.7.2020 को देहान्त होने पर उसका विरासत का नामान्तरण खुला है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी को बंटवारा करने का पूर्ण अधिकार है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई तकास्मा नहीं किया है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों. 1 से 15 ने अपने कथनों के समर्थन में [illegible] दृष्टान्त आरआरडी 2019 पेज 494, आरआरडी 1996 पेज 349 व भू [illegible] की प्रतियां पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

8. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली एवं न्याका अवलोकन किया गया।

9. प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी को तकास्मा करने का कोई अधिकार नहीं है एवं बिना पक्षकारान की सहमति के तकास्मा किया गया है।

Dw
जिला कलेक्टर, दौसा

10. इस संबंध में भू प्रबंध नियमावली अध्याय 4 (भू अभिलेख कार्य– कार्यप्रणाली व अधिकार) बिन्दु सं0 27 जो कि खातों के विभाजन से संबंधित है वह इस प्रकार है:–"खातों के विभाजन के मामले: धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत विभाजन में वे ही मामले भू प्रबंध विभाग द्वारा स्वीकृत किये जावें जहॉ पर कि वास्तविक विभाजन कृषकों द्वारा मौके पर पूर्व में ही किया जा चुका है। सभी रिकार्डेड काश्तकार उस विभाजन को स्वीकार कर कब्जा व काश्त कर रहे है। और अलिखित अभिलेख काश्तकार को भी कब्जा व काश्त पारिवारिक सहमति द्वारा करा दिया जा चुका है तथा ऐसे सभी विभाजनों के अनुसार मौके पर नये खेत बन चुके है और उन्हें वर्तमान भूमाप द्वारा नये व सर्वे नंबर दे दिये गये है। ऐसे मामलों का निर्णय भू अभिलेख अधिकारी को धारा 125 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा धारा 53 , 54 एवं 54 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत करना चाहिए। जहॉ पर मौके पर विभाजन नहीं हुआ है और नवीन विभाजन की मांग की जाती है उसे नहीं किया जाना चाहिए।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. हमने खसरा परिशोधन पत्र का अवलोकन किया जिसमें विभाजन से संबंधित, विभाजन का कारण (भू मापक की टिप्पणी द्वारा) " मुताबिक मौका कब्जा काश्त अलग–2 अनुसार हस्ब रजामंदी परिशोधन भरकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।" अंकित है। साथ ही निम्न नोट अंकित है:" कन्हैया वगै0 कॉलम नं0 16 के काश्तकारान ने जाहिर किया कि आराजी खाता नं0 507 के काश्तकार ने आपस में अलग–2 बांटकर काश्त कर रहे है और लगान भी अपना–2 देते है। सरपंच द्वारा भी तस्दीक की तो मुताबिक कब्जा काश्त इन्द्राज जो दर्ज किया गया है वह सही है अत: कॉलम नं0 .... भी तस्दीक की तो मुताबिक कब्जा काश्त इन्द्राज जो दर्ज किया गया है वह सही है अत: कॉलम नं0 3 के खसरा नंबरान के आगे अंकित इन्द्राज कॉलम नं0 8 दर्ज होना उचित है। इन्द्राज का मिलान किया सही है।"

12. उक्त खसरा परिशोधन पत्र में कन्हैया पुत्र मांगा, किशन, हरगोविंद, ईशरा, सीताराम पि. गंगल्या, सोन्या पि. पांचू, रामदेवा पुत्र पांच्या के अंगूठा निशान भी मौजूद है। जिससे यह सिद्ध होता है कि उनकी सहमति से मौका कब्जा काश्त से रजामंदी अनुसार परिशोधन स्वीकृत हुआ है जो कि भू प्रबंध नियमावली अध्याय 4 (भू अभिलेख कार्य– कार्यप्रणाली व अधिकार) बिन्दु सं0 27 के अनुरूप है। हम वादी के इस बात से सहमत है कि भू प्रबंध विभाग को तकास्मा करने का अधिकार नहीं है जहॉ तक विवाद के बिन्दु है एवं प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री जारी किये जाकर तकास्मा किये जायें। जैसेकि माननीय राजस्व मंडल राज0 अजमेर में पारित किये है लेकिन उक्त प्रकरण में भू प्रबंध विभाग द्वारा तकास्मा मौका कब्जा, सहमति एवं हिस्से अनुरूप किये है जो कि भू प्रबंध नियमावली अनुरूप है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 20[illegible] को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:38 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा